

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

राधा कृष्ण चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के आप्त सचिव।

पटना-15, दिनांक-30/05/2008 ई०।

विषय:- माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के आप्त सचिवों की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि एसडीयकार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-927 दिनांक-23-09-06 की अनुसूची-1 के नोट-11 में मंत्रियों के आप्त सचिव राज्य सरकार के राजस्व त्रित पदाधिकारी प्रावधानित हैं। राजस्व त्रित स्तर के पदाधिकारियों की माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के आप्त सचिव के पदों पर पदस्थापन के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं:-

- 11 माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव के रूप में बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों की ही सेवाएँ भविष्य में उपलब्ध करायी जाएगी।
- 22 अन्य सभी राजस्व त्रित पदाधिकारियों के मामले में भी उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के समकक्ष वेतनमान के पदाधिकारियों की सेवाएँ ही आप्त सचिव के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
- 33 वर्तमान में कार्यरत किसी भी स्तर के आप्त सचिव की सेवा यथापूर्व बनी रहेगी, जबतक कि उसके विपरीत संबंधित माननीय मंत्री द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की जाती है।

विश्वासभाजन,

राधा कृष्ण चौधरी
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-3/सी०एस०/एम०-१०२०/२००८ 1737 /पटना-15, दिनांक-30/05/2008 ई०

प्रतिलिपि- सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उनके पत्रांक 4698 दिनांक-02-05-2008 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय/संयुक्त सचिव/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।